

**राजस्थान सरकार**  
**आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर**

क्रमांक- एक 5(प)(32)एसीटीएडी/माडा/275(1)अलवर/प्रस्ताव/2020-21/24840

दिनांक- 03/08/2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), अलवर।

विषय- धारा 275(1) अन्तर्गत माडा क्षेत्र में सौलर ऊर्जा द्वारा चलित सिंगल फेस ट्यूबवैल की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग- विभागीय समसंख्यक प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक- 18353-63 दिनांक 16.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में विभागीय परिपत्र क्रमांक 9609-34 दिनांक 12.03.2021 के अनुसार कन्टिन्जेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत अनुमत करते हुए, जिसकी अन्तर्गत 0.25 प्रतिशत आयुक्तालय के खाते में आवश्यक मानव संसाधन के नियोजन, क्षेत्रीय निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराने एवं शर्ड पार्टी इन्सपेक्शन के लिए मॉनिटरिंग हेतु आरक्षित रखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर धारा 275(1) अन्तर्गत माडा क्षेत्र में सौलर ऊर्जा द्वारा चलित सिंगल फेस ट्यूबवैल की निम्नानुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 11.91 लाख की जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

राशि लाखों में

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशा.स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		वित्तीय स्वीकृति	कन्टिन्जेन्सी	अनुमत	अनुमत में से	अनुमत में से	जिला परिषद को हस्तान्तरित की जाने वाली राशि 80%
		क्रमांक / दिनांक	राशि लाख रु	क्रमांक / दिनांक	राशि लाख रु						
1	ग्राम काबलीगाढ ग्राम पंचायत, क्यारा पंचायत समिति, धानगाजी सौलर ऊर्जा द्वारा चलित सिंगल फेस ट्यूबवैल	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		18353-63 / 16.07.2021	7.64	127 / 30.7.2021	11.91	11.91	1.5% कम करते हुए जिला परिषद को देय कुल राशि	0.179	0.149	2.978	9.385

उपरोक्त कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 19/2019-20 से राशि रूपये 10.70 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), अलवर को हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी मद/योजना अथवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विभागीय बजट में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो सूचित किया जावे। दोहरा व्यय की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
2. समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 जीएफएण्डएआर की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
4. नलकूप कार्य भू-जल वैज्ञानिक की जल उपलब्धता की रिपोर्ट अनुसार किया जावे।

1 सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721

E-Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार  
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे निविदा पश्चात जाकर कार्यदिश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावे।
- सफल जल स्रोत की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात् ही अग्रिम कार्य/व्यय कराया जावे। द्यूबबेल वेधन/जल स्रोत के असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नही किया जावे।
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) बस्तियों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करे।
- कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है हो तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीया,  
(प्रज्ञा कवलरमानी).I.A.S.  
आयुक्त

क्रमांक- एक 5(प)(32)एसीटीएडी/माडा/275(1)अलवर/प्रस्ताव/2020-21/  
दिनांक-

- निजी सचिव, मा.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
- श्री कान्ती प्रसाद मीणा, मा. विधायक, 8 एम.बी./बी6/906, कचनजंगा अपार्टमेन्ट, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
- जिला कलक्टर, अलवर।
- वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र), अलवर को राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 19/2019-20 से राशि रु. 10.37 लाख हस्तान्तरण एवं कन्ट्रिजेन्सी की राशि रूपये 0.15 लाख में से राशि रूपये 0.03 लाख आयुक्तालय में परियोजना प्रबन्धन हेतु व्यय का अंकन किया जावे।
- निदेशक, मोनितरिंग, कार्यालय हाजा।
- सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड-थानागाजी, जिला- अलवर।
- माडा मॉनितरिंग, कार्यालय हाजा।
- कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
- अभियांत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
- गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)